In the Court of Deputy Commissioner Jamtara

वि० २ फारम संख्या ६६२।

(1)

Jyotsna Bauri
vs
16 Ana Raiyat.

आदेश - पत्रक

(रिकॉर्ड अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२१)

आदेश पत्रक-ता०.............................में .... सन् 16/Ana Raiyat.

जिला.................................सं० ....सन्.................

केस का प्रकार......R.M.A. 10/2016-017

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
3.8.16	ज्योत्सना बाउरी पति - फटिक बाउरी ग्राम - बधानडंगाल रा० सर्कल अफजलपुर थाना - नाला, अनुमंडल एवं जिला - जामताड़ा के द्वारा 16 आना रैयत मौजा - बधानडंगाल रा० सर्कल - अफजलपुर थाना - नाला अनुमंडल एवं जिला - जामताड़ा के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के वाद Settlement Case no. 46/2013-14 में दिनांक 20.4.16 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। दिनांक 26.8.16 को रखें। उपायुक्त जामताड़ा। उपायुक्त जामताड़ा	
26.8.16	अपीलकर्ता का हाजरी पड़ी है। निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगावें। अगामी तिथि 13.10.16 को रखें। उपायुक्त	DB 25

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
15.10.16	अधिवक्ता का [illegible] नहीं है। [illegible] अन्य [illegible] के साथ दिनांक 10/11/16 को करें। [illegible]	
10/11/16	अधिवक्ता का [illegible] नहीं है। [illegible] के साथ दिनांक [illegible] को करें। [illegible]	
[illegible].12.16	अधिवक्ता का [illegible] नहीं है। [illegible] के साथ दिनांक [illegible] को करें। [illegible]	
6/1/17	[illegible] दिनांक [illegible].17 को करें। [illegible]	
9/2/17	अधिवक्ता का [illegible] [illegible] प्राप्त [illegible] दिनांक 13.6.2017 को करें। [illegible]	
13.6.2017	अधिवक्ता का [illegible] [illegible] दिनांक [illegible]/17 को करें। [illegible]	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
8/6/17	अपीलकर्ती का हाजरी पर्ची पेश। अपीलकर्ती की ओर से एक आवेदन दाखिल किया गया है। तदनुसार पेश करे। आगामी तिथि 28/7/17 को करें। [signature] 8/06/17	
20.7.17 / 27.12.17	आदेश अतिरिक्त में संलग्न है [signature] [illegible]	

Scanned with CamScanner

(3)

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20.07.2017 29.12.2017	**उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा।** **R.M.R. Case No. - 10/2016-17** ज्योतसना बाउरी बनाम 16-आना रैयत आदेश प्रस्तुत वाद R.M.A CaseNO - 10/2016-17 ज्योतसना बाउरी, पति-फटिक बाउरी ग्राम वर्द्धनडगाल स0 सार्कल-अफजलपुर, थाना-नाला, अनुमंडल एव जिला- जामताड़ा के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के वाद Rev Misc case No -46/2012-13 मे दिनांक 20.04.2015 को पारित आदेश के विरूद दायर किया गया। इस वाद मे प्रविष्ट के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अपेक्षित है। अपीलकर्ता के अवलोकन अपील आवेदन, उनके विद्वान अधिवक्ता के बहस एव अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के दिनांक-20.04.2016 को पारित आदेश का अवलोकन किया। अपीलकर्ता मौजा- वर्द्धनडगाल स0 सार्कल- अफजलपुर के जमाबंदी रैयत है। उनके द्वारा मौजा- वर्द्धनडगाल के खाता सं0-43, दाग सं0-140 कुल रकवा 3.21 एकड पुरातन पतित मे से 09 डी0 जमीन के अपने नाम से बदोबस्ती हेतु अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के न्यायालय मे आवेदन दाखिल किया गया। आवेदिका गरीब एव भूमिहीन है। आवेदिका उक्त खाता अंतर्गत अंश रकवा दाग सं0-140 कुल रकवा 09 भूमि पर कच्चा घर तथा मिट्टी का घेरा बनाकर निवास कर रही है। संथाल परगाना काश्तकारी अधिनियम 1943 की धारा -28 में कृषि कार्य हेतु जमीन बंदोबस्ती करने का प्रावधान है। घर, मकान आदि बनाने हेतु जमीन बंदोबस्त करने का प्रावधान नही है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के Rev Misc Case No -46/2012-13 में दिनांक 20.04.2016 को पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। यह रिवीजन आवेदन खारिज किया जाता हैं। फिर भी यदि अपीलकर्त्ता भूमिहीन है और उन्हें अन्य कहीं भी इस जिले में रहने की भूमि नही है तो अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा विधि-सम्मत निर्णय लेने के लिए सक्षम है, इस अभिमत के साथ वाद अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा को Remand किया जाता है। उपायुक्त जामताड़ा।	10-1-18 DD/ dt 20.1.18